न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :–59 / 2025

प्रार्थीनी	**बनाम**	विप्रार्थीगण
जेठकंवर पत्नी हुकमसिंह जाति राजपूत निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी		1. तहसीलदार सिणधरी 2. देवीसिंह पुत्र अचलसिंह 3. जबरसिंह पुत्र अचलसिंह 4. सरूपसिंह पुत्र अचलसिंह 5. भीमसिंह पुत्र अचलसिंह 6. नरपतसिंह पुत्र हुकमसिंह 7. मोडसिह पुत्र हुकमसिंह 8. गीतांकवंर पत्नि गोपालसिंह 9. नरेन्द्रसिंह पुत्र गोपालसिंह 10. हड़मतसिंह पुत्र गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी भूंका थानसिंह तहसील सिणधरी 11. शाखा प्रबनधक एस.बी.आई. शाखा भूंका भगतसिंह 12. शाखा प्रबनधक एक्सिस बैंक शाखा बालोतरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1.श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा–

आदेश

दिनांक [illegible].2025

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya

Date: 2025.09.28 18:46:35 IST

Reason: SelfAttested

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि [illegible] भूंका थानसिंह में खेत खसरा संख्या 140,142,155,[illegible] हेक्टेयर भूमि में अवस्थित प्राथीर्नी का नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्राथीर्नी का नाम ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह गलत नाम दर्ज हो रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी सं. 1 की तरफ से पैरोकार सरकार उप.। शेष विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही कमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्राथी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा भूंका थानसिंह में खेत खसरा संख्या 140,142,155,259/126, 65,66 कुलरकबा 20.1604 हैक्टेयर भूमि में अवस्थित प्रार्थीनी का नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थीनी का नाम ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह होने से प्रार्थीनी को सरकारी योजनाओं का कोई फायदा नहीं हो रहा हैं, आगे ओर कथन किया कि विप्रार्थी तहसीलदार सिणधरी ने अपने जवाब में स्वीकार किया है, कि प्रार्थीनी का वास्तविक नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह ही है। अतः प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज प्रार्थिया का नाम ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन एवं पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा भूंका थानसिंह में खेत खसरा संख्या 140,142,155,259/126, 65,66 कुलरकबा 20.1604 हैक्टेयर भूमि में अवस्थित प्रार्थीया का नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर राजस्व रेकर्ड में राजस्व कार्मिकों की भूलवंश से प्रार्थी का नाम ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह गलत नाम दर्ज हो रखा है। क्योकि प्रार्थी का सही नाम जेठकंवर है। इससे साबित होता है कि प्रा[illegible] ढेलकंवर न होकर जेठकंवर है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि [illegible] हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है इस प्रकार प्रार्थी अपने आप को ढेलकंवर के स्थान पर जेठकंवर दुरूस्त करवानें की हकदार है। इसी प्रकार तहसीलदार सिणधरी ने अपने जबाव में स्वीकार किया है कि प्रार्थीया का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जबकि का सही नाम जेठकंवर है। पत्रावली के सलंग्न दसवेजी साक्ष्यो–सरकारी दस्तावेजात

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:46:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

यथा–, बैंक पास बुक, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड में प्रार्थीनी का नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह अंकित है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थीनी का राजस्व रेकर्ड में गलत नाम ढेलकंवर इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थीनी का सही नाम जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह है। जो ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह दुरुस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

6. लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी जिला बालोतरा के मौजा भूंका थानसिंह में खेत खसरा संख्या 140,142,155,259/126, 65,66 कुलरकबा 20.1604 हैक्टेयर **भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि प्रार्थीनी का नाम ढेलकंवर पत्नि हुकमसिंह के स्थान पर जेठकंवर पत्नि हुकमसिंह दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते** है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

आदेश आज दिनांक 28.07.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 13:46:35 IST
Reason: SelfAttested